आबकारी विभाग मे इंस्पेक्टरराज का बोलबाला!!!

आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह को किसी का नहीं है डर!!!

ना केवल विभाग के आला अधिकारियों से बल्कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे रहे झूठे जवाब!!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत झोटवाड़ा के वार्ड संख्या 30,31(G) मे स्थित शालीमार चौराया,झोटवाड़ा ओद्योगिक क्षेत्र मे लाईसेन्सी अंजु कंवर को स्वीकृत की गयी कम्पोजीट शराब की दुकान का है मामला

चालू वित्तीय वर्ष मे आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह ने ओद्योगिक क्षेत्र मे नियम विरुद्ध शराब की दुकान लगाने की अनुशंसा!!!

शिकायत पर दे रहे झूठा जवाब!!

आबकारी निरीक्षक के अनुसार उक्त स्थल पर वर्ष 2018 से संचालित है शराब की दुकान!!!

जबकि वर्ष 2020-21 मे उक्त स्थल पर केवल देशी शराब के गोदाम की थी स्वीकृति!

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्यौगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/18 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 9 जुलाई 2022

आबकारी विभाग के निरीक्षकों की कमजोर हिन्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण!!!

हमारा सवाल:- नियमविरुद्ध ओद्योगिक क्षेत्र मे शराब की दुकान!!!

जयकृत सिंह का जवाब:-नियमानुसार श्रमिक बस्ती के पास नहीं है शराब की दुकान!!!

आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह को
शराब की दुकान,शराब का गोदाम,
ओद्योगिक क्षेत्र एवं श्रमिक बस्ती मे अंतर ही नहीं मालूम!!

क्या जिला आबकारी अधिकारी(जयपुर-शहर) महोदय को लगानी पड़ेगी
आबकारी निरीक्षकों की हिन्दी की क्लास?

यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है शालीमार चौराया,झोटवाड़ा इंड. एरिया मे खुली नियमविरुद्ध शराब की दुकान का मामला?

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
शुक्रवार, 17 जून 2022
E-Newsletter, Issued in Public Interest
रेफरेंस संख्या –2022/palm/13

जितना भ्रष्टाचार आबकारी विभाग के इतिहास मे आज नहीं हो हुआ, उतना इस चालू वित्तीय वर्ष मे हो रहा है!!

मंदिरो,ऐतिहासिक स्मारकों के बाद अब औद्योगिक क्षेत्र मे भी खोल दी शराब की दुकान!!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत झोटवाड़ा के वार्ड संख्या 30,31(G) मे स्थित शालीमार चौराया,झोटवाड़ा इंड. एरिया मे लाईसेन्सी अंजु कंवर को स्वीकृत की गयी कम्पोजीट शराब की दुकान का है मामला

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार किसी औद्योगिक क्षेत्र मे नहीं लग सकती शराब की दुकान!!! लेकिन राजस्व हित की आड़ मे जिम्मेदार ही कर रहे नियमों की ऐसी की तैसी!!!

मद्द संयम नीति गयी भाड़ मे!!!

पेज 1
पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com
*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,औद्योगिक क्षेत्र,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी| लेकिन आबकारी नियम को धत्ता बताते हुए,आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत झोटवाड़ा के वार्ड संख्या 30,31(G) मे स्थित शालीमार चौराया,झोटवाड़ा इंड. एरिया मे लाईसेन्सी अंजु कंवर को कम्पोजीट शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गयी|नियमों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो औद्योगिक क्षेत्र के बीच मे ही शराब की दुकान खोल दी गयी है|इस दुकान के कारण स्थानीय फैक्ट्रियों,कारखानो मे कार्यरत सैकड़ो दिहाड़ी मजदूरो को अपने खून पसीने की कमाई से इस दुकान से शराब खरीदते और यही खड़े होकर पीते देखा जा सकता है|

आबकारी विभाग के संज्ञान मे मामला लाने पर वृत निरीक्षक जयकृत सिंह मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे रहे झूठे जवाब!!!

हमारे द्वारा जब यह मामला आबकारी विभाग के संज्ञान मे लाया गया तो जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा ने वृत निरीक्षक जयकृत सिंह से जवाब मांगा गया|लेकिन अपने जवाब मे वृत निरीक्षक जयकृत सिंह ने ऐसा झूठ का पुलिंदा दिया जिसे देखकर हंसी भी आई तो गुस्सा भी आया|

Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jhotwara	Mukesh Kumar	Jaipur (M Corp.) (Part) - Greater Ward No.14,19,30,33	1. 17-18 fakira nagar Benar Road Jaipur; 2. Green Vatika Nagal Puliya jaipur; 3. Benad Road Dadi Ka Phatak	Shalimar Choraha Jhotwara jaipur

वर्ष 2020-21 मे इस स्थान पर देशी शराब का गोदाम स्वीकृत था|

आबकारी निरीक्षक का दावा;वर्ष 2018 से संचालित उक्त स्थल पर शराब की दुकान संचालित,जबकि वर्ष 2020-21 मे उक्त स्थल पर गोदाम की थी मंजूरी

अपने जवाब मे श्रीमान महाविद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर वर्ष 2018 से मतलब विगत 5 साल से शराब की दुकान संचालित है|जबकि स्थानीय रहवासियों के अनुसार झोटवाड़ा ओद्योगिक क्षेत्र स्थित शालीमार चौराहे पर इसी साल इस शराब की दुकान को मंजूरी दी गयी है|उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2021 मे इस स्थल पर देशी शराब के गोदाम की स्वीकृति थी|आबकारी नियमो के अनुसार देशी शराब का गोदाम खुदरा विक्रय की दुकान मे नहीं आता है|अतएव शराब के गोदाम को संचालित करने मे राजस्थान आबकारी नियम 75 के प्रावधान आड़े नहीं आते है|लेकिन श्रीमान महाविद्वान आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह द्वारा शराब गोदाम की आड़ मे शराब की दुकान स्वीकृत करने की अनुशंसा कर दी और भोले भाले जिला आला अधिकारियों द्वारा बिना जांच ने इस दुकान की लोकेशन पास भी कर दी|

हमारा सवाल:- नियमविरुद्ध ओद्योगिक क्षेत्र मे शराब की दुकान!!!

जयकृत सिंह का जवाब:-नियमानुसार श्रमिक बस्ती के पास नहीं है शराब की दुकान!!!

अपने जवाब मे श्रीमान महाविद्वान आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह यहीं नहीं थमे उन्होने अपना हिन्दी ज्ञान प्रदर्शित करते हुए जवाब दिया कि “जांच अनुसार उक्त स्थल के आस-पास कोई **श्रमिक बस्ती** नहीं है|जबकि हमारे द्वारा **ओद्योगिक क्षेत्र** मे संचालित इस शराब की दुकान की शिकायत की गयी थी|सबसे बड़ा सवाल यह है कि माननीय सम्माननीय आबकारी निरीक्षक महोदय का जब से जयपुर तबादला हुआ है इन्हे झोटवाड़ा वृत का ही चार्ज संभलाया हुआ है ऐसे मे यह झोटवाड़ा वृत की गली-मोहल्ले,चाक-चोबारों से भली-भांति परिचित है,ऐसे मे अगर यह महाशय मौके पर जाकर श्रमिक बस्ती और ओद्योगिक क्षेत्र मे अंतर नहीं कर पाये तो इसे या तो हिन्दी का अल्प ज्ञान समझा जाएगा या फिर शराब ठेकेदार से मिलीभगत का प्रत्यक्ष प्रमाण|

क्या जिला आबकारी अधिकारी(जयपुर-शहर) महोदय को लगानी पड़ेगी आबकारी निरीक्षकों की हिन्दी की क्लास?

आबकारी निरीक्षक महोदय के जवाब से प्रतीत होता है कि उनकी हिन्दी थोड़ी कमजोर है जिसके चलते ही वह शायद शराब की दुकान,शराब का गोदाम,ओद्योगिक क्षेत्र एवं श्रमिक बस्ती मे अंतर नहीं कर पा रहे है,जिला आबकारी अधिकारी महोदय को चाहिए कि वह जयपुर शहर के सभी आबकारी निरीक्षकों की हिन्दी की क्लास की व्यवस्था करे,क्यूंकी हिन्दी शब्दो की व्याख्या मे इस सभी के हाथ तंग नजर आते है और जाने अनजाने मे गलती कर बैठते है|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर झोटवाडा

क्रमांक : २२5 दिनांक : 05/07/22

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

विषयः- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः- श्रीमान के पत्र दिनांक 03.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देशानुसार राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत संख्या-**062202712928800** दिनांक **03.07.2022** में वर्णित तथ्य के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त मंदिरा दुकान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुकूल पाये जाने पर ही स्वीकृत है। उक्त स्थल पर मदिरा दुकान वर्ष 2018 से संचालित है। जांच अनुसार उक्त स्थल के आस पास कोई श्रमिक बस्ती नहीं है, रिपोर्ट सूचनार्थ सादर प्रेषित है ।

भवदीय

(जयकृत सिंह)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर झोटवाडा

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या आबकारी निरीक्षक जवाब देंगे कि शालीमार चौराहा झोटवाड़ा ओद्योगिक क्षेत्र मे कहाँ पर स्थित है?
2. वह जब इस दुकान की लोकेशन देखने गए थे तब क्या उनकी आंखो पर किसी ने पट्टी बंधी हुई थी?जिसके कारण उन्हे ओद्योगिक क्षेत्र का पता ही नहीं चला?
3. क्या आबकारी निरीक्षक जवाब देंगे कि शालीमार चौराहा,झोटवाड़ा ओद्योगिक क्षेत्र मे वर्ष 2018 से किन किन लाईसेंसियों द्वारा शराब की दुकान संचालित की गयी थी?
4. क्या आबकारी निरीक्षक जवाब देंगे कि आबकारी नियम 75 के अनुसार ओद्योगिक क्षेत्र मे शराब की खुदरा दुकान संचालित करने पर पाबंदी है या नहीं?
5. क्या आबकारी निरीक्षक जवाब देंगे कि हमारी शिकायत ओद्योगिक क्षेत्र मे शराब की दुकान होने से संबन्धित थी या फिर श्रमिक बस्ती मे होने की?
6. हमारी शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर द्वारा इस गंभीर मामले की जांच नहीं करवाकर,क्यूँ संबन्धित आबकारी निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर मामले मे इतिश्री कर ली गयी?
7. क्या जिला आबकारी अधिकारी का केवल कूरियर का काम ही रह गया है?जो वह चिठ्ठियों को इधर उधर कर,अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेते है?
8. आखिर जयपुर शहर मे कब तक आबकारी निरीक्षकों की मनमानी चलेगी?

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विकय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विकय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विकय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,